रजिस्ट्री सं० डी-(डी-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 312] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15, 1975/कार्तिक 24, 1897
No. 312] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 1975/KARTIKA 24, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November 1975

G.S.R. 559(E)/IDRA/30/1/75.—Whereas certain draft rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, were published as required by sub-section (1) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), at pages 1663-1664 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 23rd July, 1975, with the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, No. G.S.R. 423(E)/IDRA/301/75/5, dated the 23rd July, 1975, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the 22nd September, 1975;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 25th July, 1975;

And whereas objections and suggestions received by the Central Government on the said draft rules have been considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, namely:—

1. These rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (Amendment) Rules, 1975.

2. In rule 10 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, to sub-rule (1), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that where an application relates to the extension of the period of validity of an industrial licence or to the issue of a carry-on-business licence or to diversification within the existing licensed capacity in respect of such scheduled industries as may, from time to time be decided by the Central

Government, having regard to the maximisation of production, better utilisation of existing plant and machinery and other factors, the Ministries concerned may dispose of such application without reference to the Committee".

[No. F.14(1)/Lic. Pol./75]
D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1975

सा०का०नि० 559(अ)/उ० वि० वि० अ०/30/1/75.—औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्रारूप, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 423 (ई)/उ० वि० वि० अ०/30/1/75/5 तारीख 23 जुलाई, 1975 के साथ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 23 जुलाई, 1975 में, पृष्ठ 1663—1664 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें 22 सितम्बर, 1975 तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी ।

और उक्त राजपत्र 25 जुलाई, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (संशोधन) नियम, 1975 है ।

2. औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 के नियम 10 में, उपनियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां कोई आवेदन किसी औद्योगिक अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि के विस्तार के सम्बन्ध में है या कारबार चालू रखने की अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने के सम्बन्ध में है या ऐसे अनुसूचित उद्योगों की बाबत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकतम उत्पादन, विद्यमान संयंत्र तथा मशनरी के बेहतर उपयोग और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए, विनिश्चित किए जाएं, विद्यमान अनुज्ञप्त क्षमता के अन्दर विविधीकरण के सम्बन्ध में है, वहां सम्बद्ध मंत्रालय ऐसे आवेदन का निपटारा समिति को निर्देश किए बिना, कर सकेंगे ।

[सं० फा० (1)/अनु० नीति/75]
डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975